

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-13/2019/321


दिनांक:- 5/3/19

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
उदयपुर।

विषय:- माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में पंजीबद्ध अपील संख्या 3307/2018 द्वारा अनिता मीणा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2018 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 580 दिनांक 26.06.2018 (क्रम संख्या 57 पर अंकित) द्वारा श्रीमती अनिता मीणा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलसीगढ़, गिर्वा, उदयपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलोदा, खमनोर, उदयपुर किया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीया ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3307/2018 दायर की है, जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 24.09.2018 पारित कर अपीलार्थीया के सम्बन्ध में निदेशालय के आदेश 580 दिनांक 26.06.2018 द्वारा किये गये स्थानान्तरण को स्थगित किया है।

कार्मिका को माननीय अधिकरण दिनांक 24.09.2018 की पालना में कार्यग्रहण कराते हुए नियमानुसार वेतन आहरण कर निदेशालय को अवगत करावें।


  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-13/2019/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
2. उप विधी परामर्शी, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/राजसमन्द।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गिर्वा (उदयपुर)/खमनोर,(राजसमन्द)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलोदा खमनोर, उदयपुर।
6. श्री राजेश कुमार निगम राजकीय अधिवक्ता माननीय अपील अधिकरण, जयपुर।
7. प्रशासनिक अधिकारी अराजपत्रित(सामान्य) अनुभाग मुख्यालय।
8. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर